रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1099/2026/154/22-2-2026-17(867)/2023

लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2 (ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस, 2026 (26 जनवरी 2026) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद (बन्दी संख्या-51949) पुत्र श्री इतवारी, जो शंकरपुर, थाना-जैतीपुर, जनपद-शाहजहाँपुर का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-1153/08 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-27, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 15.12.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2026 तक 16 वर्ष, 04 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 00 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी जाने तथा जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत, शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1099/2026/154(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in